

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 18A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

बांचो सुरेनआवेदक / विक्रेता

बनाम

विराई माझी.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

10.01.2020

विक्रेता

:- बांचो सुरेन पिता स्व० मधन सुरेन, सा०-साहेबगंज, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-हो।

क्रेता

:- बिराई माझी पिता बिनोद माझी, सा०-चड़कपाथर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 24.09.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता विराई माझी पिता बिनोद माझी, सा०-चड़कपाथर, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
छोटा कांकड़ा	सरायकेला / 255	09	153	0.25 एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 1584 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पितामह चुनु हो के नाम से खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकबा-5.22 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहते हैं।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'हो' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।



लगातार.....2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता बांचो सुरेन पिता स्व0 मधन सुरेन, सा0-साहेबगंज, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता विराई माझी पिता विनोद माझी, सा0-चड़कपाथर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.25एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


10/01/2020
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।